छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

---

// अधिसूचना //

नया रायपुर दिनांक 30 अक्टूबर 2017

कमांक एफ 7–1/2017/9 :– छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 जारी करता है। अर्थात :–

## छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017

### 01. प्रस्तावना

**"It is health that is wealth and not pieces of gold and silver"**

महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 'स्वास्थ्य' को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुये यह बताया है ही कि 'स्वास्थ्य ही वास्तविक सम्पत्ति' है ना कि 'सोने एवं चांदी के टुकड़े'। बेहतर स्वास्थ्य न केवल 'मानव विकास' का परिचायक है अपितु किसी भी विकसित या विकासशील राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास का घोतक होता है।

खेल–कूद बेहतर स्वास्थ्य का माध्यम होने के साथ–साथ सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल–कूद लोगो में एकता, नेतृत्व कौशल एवं नागरिकता के भाव को समावेशित करते हुए सामाजिक–आर्थिक असमानता को दूर करते हुए समाज को सशक्त करता ।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन (1 नवम्बर, वर्ष 2000) के उपरान्त प्रदेश में खेल–कूद की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के 'खेल एवं युवा कल्याण विभाग', द्वारा 'खेल नीति–2001' बनाई गई थी।

छत्तीसगढ़ खेल नीति–2001 का लक्ष्य राज्य में खेल संस्कृति का सृजन करने के साथ–साथ विभिन्न खेल योजनाओं एवं कार्यकमों का कियान्वयन पंचायत स्तर तक करना था। साथ ही खेल नीति–2001 के द्वारा राज्य में सर्वेक्षण के माध्यम से खेल संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज, उपलब्ध खेल –मैदानों एवं अन्य खेल सुविधायें इत्यादि चिन्हित कर खेलों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बढ़ावा देना था।

छत्तीसगढ़ खेल नीति–2017 का विजन, "छत्तीसगढ़ राज्य में खेल अनुकूलित वातावरण का निर्माण कर, समाज के सभी वर्ग के लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता तथा उत्सुकता बढ़ाकर, खेलों के माध्यम से राज्य का सर्वांगीण विकास करना है।

साथ ही खेल नीति–2017, राज्य को 'खेल का गढ़' के रूप में विकसित करने का ध्येय रखती है, जहां खेल, शिक्षा के समतुल्य हो तथा समाज का हर वर्ग खुशहाल हो । खेल नीति–2017 यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी की छत्तीसगढ़ का युवा वर्ग, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होकर सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर राज्य के विकास में सहभागी बन सके।

भारत की युवा नीति–2014 के अनुसार 15–29 वर्ष आयु वर्ग के 27.5% भारतीय युवा, भारत के सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income) में लगभग 34% का योगदान देतें है ।

सत्रह वर्ष के इस नवयुवा राज्य छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष आयु की जनसंख्या 70,46,629 रही है, जो राज्य की कुल आबादी 2,55,45,198 का 27.58% है। छत्तीसगढ़ में युवा आबादी मुख्यतः ग्रामीण (74.03%) क्षेत्रों में निवास करती है वहीं नगरीय क्षेत्रों में 25.06% युवा है ।

अतः राज्य के स्थानीय निकायों में आवश्यकतानुसार 'खेल स्थाई समिति' (Standing Committee on Sports) के गठन के माध्यम से विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित कर प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ना ताकि वे राज्य का गौरव बन कर राष्ट्र विकास में योगदान दे सकें ।

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने वर्ष 2001 में पंजाब में आयोजित 31 वें राष्ट्रीय खेलों से लेकर वर्ष 2015 में केरल में आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते हुए राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त की है।

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में, राज्य की गौरवशाली पहचान बनायी है।

अतः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में छत्तीसढ़ की सशक्त एवं गौरवमयी पहचान हेतु छत्तीसगढ़ खेल नीति–2017 निम्नानुसार है;

## 2. दृष्टि, ध्येय, उद्देश्य एवं लक्ष्य

### (1) दृष्टि

खेल नीति छत्तीसगढ़ की दृष्टि, ''छत्तीसगढ़ राज्य में खेल अनुकूलित वातावरण का निर्माण कर, समाज के सभी वर्ग के लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता तथा उत्सुकता बढ़ाकर, खेलों के माध्यम से राज्य का सर्वांगीण विकास, गौरव मे वृद्धि करना है।''

### (2) ध्येय

खेल नीति का ध्येय, ''बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों को खेल के प्रति जागरूक करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य को 'खेलों का गढ़' के रूप में विकसित करना है। जहाँ खेल शिक्षा के समतुल्य हो तथा समाज का हर वर्ग खुशहाल हो और राज्य के विकास में सहभागी हो सकें''।

### (3) उद्देश्य

छत्तीसगढ़ खेल नीति– 2017 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :–

(I) खेल के माध्यम से राज्य में ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करना है, जिससे किशोर, युवा पीढ़ी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित हो सके तथा तथा वह नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करें।

(II) राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता बनने हेतु प्रोत्साहित करना है।

(III) छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल–अधोसंरचना (Sports Infrastructure) के विकास हेतु योजनाबद्ध प्रयास करना।

(IV) राज्य में विभिन्न खेलों, खिलाड़ियों, खेल–अधोसंरचना, खेल संघो, खेल संगठनों, खेल आयोजकों एवं खेल दर्शकों को विकसित करने का प्रयास।

(V) राज्य में खेल आयोजन, प्रशासन तथा प्रबंधन हेतु स्वायत्त (Autonomous) संस्था के रूप में 'छत्तीसगढ़ राज्य खेल प्राधिकरण'

(Chhattisgarh state sports authority) का गठन करना। जिससे राज्य में खेल संस्कृति का विकास हो सके।

(VI) छत्तीसगढ़ में खेल–शिक्षा (Sports education),खेल–अनुसंधान (Sports-Research),खेल–चिकित्सा (Sports-Medicine), खेल–उद्योग (Sports-industry), खेल–व्यापार(Sports-business) तथा खेल–सेवाओं (sports-services) के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना । जिससे खेल के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकें।

(VII) खेल नीति के माध्यम से यह प्रयास करना कि खेल गतिविधियों का उतना ही महत्व हो जितना शिक्षा का है।

(VIII) राज्य में खेल अनुदान प्रक्रिया का सरलीकरण करना जिससे खेल संघों एवं खेल संघठनों के माध्यम से विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले।

(IX) खेलों के अधिकाधिक प्रचार–प्रसार हेतु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया का अधिकाधिक उपयोग ताकि खेलों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता के साथ–साथ खेलों के प्रति आर्कषण पैदा हो सके।

**(4) लक्ष्य**

(I) छत्तीसगढ़ को खेलों में अग्रणी राज्य की श्रेणी मे लाना है।

(II) राज्य में खेलों एवं खिलाड़ियों को विकसित करना जिससे छत्तीसगढ़, विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सके और देश में खेलकूद गतिविधियों के केन्द्र के रूप में उभरे।

## 3. रणनीतिक दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था 'के.पी.ऍम.जी.' (KPMG) के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में खेलों का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान 1 से 5 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।[4] यहॉ तक कि वैश्विक मंदी के दौरान भी, वर्ष 2009–13 के मध्य, खेल बाजार 7 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सकल घेरलू उत्पाद में वृद्धि से अधिक रहा है।[5]

साथ ही खेल क्षेत्र श्रम–आधारित होने के कारण रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विशेषकर खेल खुदरा व्यापार का क्षेत्र, जो अमेरिका में लगभग 11 प्रतिशत तथा भारत में लगभग 6 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने मे सहायक है।[6]

अतः खेल, खेल–शिक्षा (Sports Education), खेल अनुसंधान (Sports Research), खेल चिकित्सा (Sports-Medicine), खेल–उद्योग (Sports Industry), खेल व्यापार (Sports Business), तथा खेल–सेवाओं (Sports Service) को प्रोत्साहित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते है।

राज्य में विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ खेल नीति–2017 के अंतर्गत निम्नलिखित रणनीतिक दृष्टिकोण होगा :–

## (1) सामुदायिक गतिविधियों हेतु वातावरण निर्माण :–

(I) राज्य के सभी जिलों में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्को इत्यादि मे फिटनेस उपकरणों स्थापित किया जायेगा।

(II) राज्य के चयनित सार्वजनिक स्थलों जैसे पर्यटन केन्द्रों, तीर्थ स्थलों, और वन क्षेत्रों इत्यादि में टहलने एवं साइकल चलाने हेतु पथ (Tracks) के निर्माण हेतु योजना बनाई जायेगी।

(III) देश के विभिन्न राज्यों की खेल संस्कृति का राज्य में आदान–प्रदान हेतु पहल की जाएगी। इसमें पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों प्रकार के खेलों के प्रदर्शन, मैत्री मैच, खेल साहित्य एवं खेल ज्ञान का आदान–प्रदान सम्मिलित होगा।

## (2) खेल प्रतिभा खोज :–

(I) राज्य के सभी जिलों में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ठ सामर्थ्यवान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों की पहचान की जायेगी।

(II) जिले के अंतर्गत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताएँ, जिले के रहवासियों के मध्य खेल के प्रति रूझान, जिले के किशोर एवं युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप उपयुक्त खेलों की पहचान कर संबंधित जिले में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(III) राज्य के प्रत्येक विकासखंड एवं जिलों में क्रमबद्ध रूप से विभिन्न खेलों प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के द्वारा, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा तथा उन्हें आवश्यक सुविधाओं एवं प्रशिक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु तैयार किया जायेगा।

(IV) आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु तैयार किया जायेगा।

(V) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन जिला एवं राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन विशेष शिविरों के माध्यम से किया जाएगा।

**(3) खेल प्रतियोगिताएँ :–**

(I) जिलेवार खेल प्रतिस्पधाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में उत्कृष्ठता (Excellence) हेतु खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(II) राज्य में खेल वातावरण हेतु विभिन्न खेल गतिविधियों जैसे खेल–उत्सव, मैराथन इत्यादि का आयोजन किया जायेगा।

(III) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेल–प्रतिस्पधाओं को आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(IV) राज्य के विभिन्न जिलों तथा खेलों में प्रतियोगिता विकसित कर खिलाड़ियों में उत्कृष्ठता, एकता एवं खेल मनोभाव को विकसित करने हेतु खेलों मे क्लब संस्कृति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(V) राज्य में निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों (NGOS) तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों मे कार्यरत कर्मचारी खिलाड़ियों/खेल श्रमिकों हेतु खेलों के आयोजन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(VI) पर्यावरण अनुकूल (Eco friendly) खेल आयोजनों को प्रोत्साहन।

(VII) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं जैसे ओलम्पिक, पैरालिम्पिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स इत्यादि में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों को राज्य में विशेष कर प्रोत्साहित किया जाएगा तथा

खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पदक विजेता बनाने हेतु पहल की जाएगी

(VIII) बस्तर एवं सरगुजा संभाग में खेल प्रतियोगिता एवं खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।

(IX) प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं को आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

## (4) खिलाड़ियों को सुविधाएँ :—

(I) राज्य के सभी जिलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें सभी आवश्यक सुविधायें जैसे आवास, पोषण युक्त भोजन, खेल उपकरण, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधायें प्रदान किया जायेगा ताकि वे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त कर सकें।

(II) राज्य के सभी स्टेडियम प्रतिदिन सुबह एवं शाम को खिलाड़ियों के खेल—कूद गतिविधियों हेतु सुनिश्चित समय हेतु खोलें जायेंगे।

(III) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए मासिक मुख्यमंत्री खेलवृत्ति (Sports scholarship) का प्रावधान किया जायेगा।

(IV) राज्य के सभी जिलों के प्रमुख स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न खेलों से राष्ट्रीय एवम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों (Celebrity Players) को आमंत्रित कर खेल के प्रति लोगों को जागरूक तथा प्रोत्साहित किया जायेगा।

(V) राज्य के सभी जिलों से चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये आवास (Hostel), आहार, प्रशिक्षण, खेल उपकरण, सुविधा प्रदान करने हेतु पहल की जायेगी।

(VI) खिलाड़ियों को प्रदान किये जाने वाले आहार भत्ते, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि आवश्यकता अनुसार समय—समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

(VII) प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय खिलाड़ियों को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधायें दी जायेंगी।

(VIII) अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं के पूर्व आयोजित होने वाले खेल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विद्यालयों/ महाविद्यालयों की उपस्थिति में रियायत देने हेतु निर्देश जारी करने के लिए पहल की जाएगी।

(IX) अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों के नाम जिले के विशिष्ठ व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।

(X) राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अव्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं छात्रावास में प्रवेश हेतु बिना गुणात्मक से प्रवेश एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उन्हें प्राप्त अंकों में बोनस अंक प्रदान करने हेतु पहल की जाएगी।

(XI) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आजीवन सम्मान निधि प्रदान की जाएगी।

(XII) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने, राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने या राज्य का अनेक बार प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने एवं इस हेतु आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु नियम अद्यतन किये जाएगे/बनाए जाएंगे। प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

(XIII) उभरते खिलाड़ियों का चिन्हीकरण करने एवं उनके खेल में निखार लाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने हेतु पहल की जाएगी।

(XIV) राज्य में खेलों एवं खिलाड़ियों को विकसित करने तथा छत्तीसगढ़ को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों मे अपनी गौरवमयी पहचान को बढ़ाने हेतु राज्य के शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी क्षेत्र के संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Punlic Sector Undertakings), गैर सरकारी संस्थाओं (NGOS), अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों (Celebrities) को एक खेल एवं एक खिलाड़ी या कोई भी एक (खिलाड़ी या खेल) को गोद लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(XV) "मुख्यमंत्री खेल विकास कोष" एवं "खिलाड़ी कल्याण नीधि" का गठन करने हेतु पहल की जाएगी जिससे राज्य में विभिन्न खेलो एवं खिलाड़ियों को विकसित किया जा सके।

## (5) खेलों का वर्गीकरण :–

(I) राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों का वर्गीकरण, खेल –सामर्थ्य (Strength in Sports) तथा खेल पदक–अवसर (Opportunities for Medals in Sports ) इत्यादि के अनुसार कर, विभिन्न खेलों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, तथा अधोसंरचनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(II) स्थानीय निकायों में आवश्यकतानुसार "स्थायी खेल समिति" (Standing Committe on Sports) का गठन कर खेलों को प्रोत्साहन के प्रयास किए जाएँगें।

## (6) विद्यालयों / महाविद्यालयों में खेल शिक्षा :–

(I) राज्य के स्कूल शिक्षा के पाठ्‌यक्रम में खेल शिक्षा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा, जिससे बच्चों का बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास होने के साथ–साथ स्कूलों में विद्यार्थियो की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके।

(II) राज्य में उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में खेल शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(III) विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल मैदान हेतु स्थान निर्धारण किया जाएँगा।

(IV) पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्था के विद्यार्थियों को चार समूहों में विभाजित कर अंतरदलीय प्रतियोगिता आयोजन, समय–समय पर किया जाए इस हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वित किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

(V) महाविद्यायलों में वर्ष में एक बार अनिवार्य खेल उत्सव आयोजित किया जाए एवं इसके विजयी खिलाड़ी को महाविद्यालय चैम्पियन घोषित किया जाए इस हेतु योजना बनाई जाएगी ।

(VI) विद्यालयों के संचालन का समय यथासंभव इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि, विद्यालय स्तर के विद्यार्थी सूर्य के प्रकाश में कम से कम दो घण्टे सामुदायिक खेल प्रशिक्षण या सामुदायिक खेल केन्द्रों में खेल गतिविधियों में भाग ले सके।

(7) **खेल विद्यालय की स्थापना :–**

(I) राज्य में खेल स्कूलों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(II) खेलों में उत्कृष्टता हेतु "खेल प्रतिभालय" की स्थापना हेतु पहल की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलो में और सशक्त हो सकें।

(8) **खेल संघों को प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं सुविधाएँ :–**

(I) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे राज्य को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच एवं संबंधित खेल संस्था को प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत किया जायेगा।

(II) नया रायपुर में बहु–खेल केन्द्र (Multi Sports Center) का निर्माण कर उसी परिसर में छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त विभिन्न खेल संघों एवं खेल संस्थाओं को कार्यालय सुविधा प्रदान किया जायेगा जिससे ये संस्थायें स्वयं प्रशासन, प्रबन्धन में सुद्रीड़ हो सकें। परिसर को स्वयंपोषित करने के लिये आवश्यक वाणिज्यिक प्रयोजन का भी प्रावधान होगा।

(III) राज्य में खिलाड़ियों, खेल संगठनों से संबंधित खेल–आधारित किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिये विवाद निवारण व्यवस्था की सुविधा का प्रावधान किया जायेगा।

(IV) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त विभिन्न खेल संघों एवं खेल संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं संसाधन प्रदान कर सशक्त किया जायेगा।

(9) **खेल अधिकारी / शिक्षक / प्रशिक्षक को प्रोत्साहन :–**

(I) विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों तथा महाविद्यालयों के खेल अधिकारियों, खेल विभाग के अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जायेगा।

(II) खेल विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य शासकीय विभाग में पदस्थ प्रशिक्षकों (Coaches) एवं खेल शिक्षकों (Sports Teacher) को अभिवृत्ति (Aptitud)

और पात्रता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु एन.आई.एस. संस्थान (Netaji Subhash National Institute of Sports) या लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर (Lakshmibai National University of Physical Education, Gwalior) या अन्य ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा भेजा जायेगा।

(III) खेल से जूडे तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु ग्रीष्मकालीन एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स राज्य में प्रारंभ किए जाने हेतु राष्ट्रीय खेल संस्थान से पहल की जाएगी।

(IV) ओलम्पिक मेडल गेम्स जो वर्तमान में राज्य में प्रारंभ नहीं हो सके हैं, उनके तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए संबंधित खेल के वरिष्ठ प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों की अल्पकालीन सेवाएँ प्राप्त की जाएगी तथा राज्य में इन खेलों में विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे ।

(V) राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट खेल पुरस्कार प्राप्त जैसे, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं इसी प्रकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी या प्रशिक्षक को जो भले ही राज्य के बाहर के हों, उन्हें राज्य में नये खेलों या विभिन्न खेलों की नवीनतम तकनीकी से राज्य के खिलाड़ियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार उनकी सेवाएँ प्राप्त की जाएंगी।

**(10) खेल अधोसंरचना :–**

(I) राज्य मे विभिन्न निवासीय क्षेत्रों (Residential area) के नक्शों (Layout) को अनुमोदित करते (Approve) समय बच्चों के खेल का मैदान (Play Ground) हेतु जगह छोडने को अनिवार्य रूप से अनुसरण किया जायेगा।

(II) राज्य के चयनित जिलों में एडवेंचर खेलों (Adventure Sport) के साथ–साथ जल आधारित खेलों (Water Sports) को प्रोत्साहन, तथा उपयुक्त जिलों/केन्द्रों में अधोसंरचना का विकास प्रोत्साहित किया जायेगा।

(III) राज्य के विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का नामकरण राज्य में खेलों के प्रोत्साहन में योगदान कर चुके व्यक्तियों के साथ–साथ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रदेश और देश के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों के नाम पर रखा जायेगा।

(IV) आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय खेल अधोसंरचना को विकसित करने के हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के अंतर्गत समय सीमा में कार्यों को तीव्रता से पूरा किया जायेगा।

(V) खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarntee Act) एवं अन्य योजनाओं के समागम के माध्यम से किया जायेगा।

(VI) राज्य के सभी जिलों में खेल अधोसंरचना (Sports Infrastructure) को विकसित करने हेतु विकास मेले का आयोजन किया जायेगा।

(VII) राज्य में खेल–कूद अधोसंरचना एवं खिलाड़ियों को विकसित करने हेतु निजी–क्षेत्र (Private Sector) का सहयोग लिया जायेगा।

(VIII) राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु पहल की जाएगी।

**(11) छत्तीसगढ़ राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला खेल विकास समिति का गठन :–**

(I) राज्य में विभिन्न खेलो, खिलाड़ियों, खेल अधोसंरचना, खेल संघो, खेल संगठनों, खेल आयोजको एवं खेल दर्शकों को विकसित करने के साथ–साथ बेहतर रूप से खेल आयोजन, प्रशासन, प्रबंधन हेतु स्वायत संस्था के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य खेल प्राधिकरण का गठन करने हेतु पहल की जाएगी।

(II) "जिला खेल विकास समिति" (District Sports Development Committee) का गठन किया जायेगा।

**(12) खेल कैलेण्डर :–**

(I) राज्य के विभिन्न खेल संघों एवं खेल संस्थाओं के परामर्श से एकसमान खेल एवं कोचिंग कैलेंडर का निर्माण कर विभिन्न खेलों के कोचिंग कैम्पस तथा खेलों का आयोजन किया जायेगा।

-1052-

3

**(13) खेल अकादमी / क्रीड़ा परिसर / खेल प्रशिक्षण :–**

(I) छत्तीसगढ़ शासन के "आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग" द्वारा संचालित सभी छात्रावासों (बालक एवं बालिका) मे खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष योजना का निर्माण "छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण" तथा "खेल एवं युवा कल्याण" के संयुक्त परामर्श से किया जायेगा।

(II) राज्य में विभिन्न खेलों की खेल अकादमी प्रारंभ करने हेतु पहल की जाएगी।

(III) राज्य में व्यापक अभियान चलाकर आयु वर्ग के अनुसार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान उपरान्त विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने हेतु तैयार करने की पहल की जाएगी।

(IV) राज्य के खिलाड़ियों को आगामी ओलिंपिक खेलों को ध्यान मे रखकर विशेषकर प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।

(V) पैरा–ओलंपिक खेलों की तैयारी, प्रतिभा–खोज, कोचिंग व्यवस्था की योजना बनायी जायेगी।

**(14) योग प्रशिक्षण :–**

(I) खिलाड़ियों को "योग प्रशिक्षण" प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु तैयार किया जायेगा।

**(15) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग :–**

(I) सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से "खेल डेटा बैंक"(Sports Databank) का निर्माण जिसमें प्रतिभा चयन, कोचिंग, कौशल–प्रगति, खिलाड़ी कल्याण, अधोसंरचना, प्रतिस्पर्धा इत्यादि की समस्त जानकारी सहज उपलब्ध हो सके।

(II) ऑनलाइन सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि तथा स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियों, टेलीविजन के माध्यम से लोगो में खेल जागरूकता एवं विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं के आयोजन का व्यापक कवरेज हेतु पहल की जाएगी ।

-146-

## (16) वित्त संयोजन :–

(I) राज्य के ''जिला खनिज निधि''(District Minerals Fund) का एक निश्चित प्रतिशत उपयोग खेलों एवं खिलाड़ियों को विकसित करने, प्रोत्साहित करने में किया जायेगा।

(II) नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को खेलों के विकास हेतु व्यय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

(III) छत्तीसगढ़ में केन्द्र व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ¼Public Sector Undertakinह) को खेल प्रोत्साहन में सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।

(IV) छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास हेतु खेल पर्यटन, खेल मेला आदि को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु अप्रवासीय भारतीयों से भी सहयोग हेतु पहल की जाएगी।

(V) राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को विकसित करने हेतु विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA & MP LADS) के अंतर्गत राशि के उपयोग के लिये पहल की जाएगी। साथ ही अन्य उपलब्ध नीधि जैसे जिला खनिज नीधि आदि के संयोजन से खेलों को विकसित करने हेतु पहल की जाएगी।

(VI) शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर का बहुउद्देशीय सार्वजनिक उपयोग के माध्यम से राजस्व (Revenue) अर्जित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं के रख–रखाव एवं संचालन हेतु जिला खेल विकास समिति के माध्यम से इन अधोसंरचनाओं के बहुउद्देशीय सार्वजनिक उपयोग हेतु उचित योजना बनाई जाएगी।

## (17) महिला खिलाड़ियों एवं वरिष्ठ नागरिकों में खेल गतिविधि को प्रोत्साहन :–

(I) विभिन्न खेलों में महिला खिलाड़ियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को खेल गतिविधियों हेतु विशेष प्रोत्साहित किया जायेगा।

(II) महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्टेडियम के निकट पुलिस व्यवस्था हेतु पहल की जाएगी।

(III) सीनियर सीटीजन/रेसीडेंट एसोसिएशन या क्लब के माध्यम से स्वस्थ्य जीवन हेतु विभिन्न खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु पहल की जाएगी।

(18) एंटी डोपिंग सेल का गठन :–

(I) एंटी डोपिंग सेल का गठन किया जायेगा जिससे राज्य के खिलाड़ियों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एंटी डोपिंग संबंधित जानकारियों से अवगत कराया जा सके।

(19) खेल उद्योग :–

(I) राज्य मे खेल सामग्रियों (वस्तुओं) के उत्पाद करने हेतु "खेल वस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्र" (Special Economic Zone For Sports Goods) की स्थापना कर खेल उद्योग को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे छत्तीसगढ़ में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर विकसित हो सकें।

(II) छत्तीसगढ़ में खेल उद्योग को विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ 'औद्योगिक नीति : 2014–19' में 'खेल वस्तुओं' (Sports Goods) को 'प्राथमिक उद्योगों की सूची' में वर्गीकृत किया गया है। अतः राज्य में 'खेल वस्तुओं' के उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

(III) खेल से जुड़े व्यावसायिक सेवाओं एवं ई–कॉमर्स जैसी सेवाओं को प्रोत्साहन हेतु पहल की जाएगी।

(IV) व्यावसायिक संस्थानों द्वारा राज्य में खेल की विभिन्न सामग्रियों तथा सुविधाओं का भण्डारण या मुख्य वितरक के रूप में सेवा उपलब्ध करा सकें, इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

(20) खेल प्रतिस्पर्धाओं में लैंगिक समानता / **Gender equality in sports**

(I) राज्य के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों चाहे वह बालक हो या बालिका, महिला हो या पुरूष, उन्हें समान रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में समान अवसर प्रदान किये जायेंगे।

## (21) दिव्यांग, तीसरे लिंग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

(I) दिव्यांग, तीसरे लिंग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्यक्रम की शुरूआत की जायेगी।

(II) दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु तैयार करने के सभी आवश्यक संसाधन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(III) तीसरे लिंग (Third gender) के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु तैयार करने के सभी आवश्यक संसाधन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

## (22) खेल विश्वविद्यालय

खेल विश्वविद्यालय (Sports University) की स्थापना की जायेगी।

(I) खेल विश्वविद्यालय में खेल–अर्थशास्त्र (Sports-Economics), खेल–चिकित्सा (Sports Medicine), खेल–पोषण (Sports Nutrition), खेल प्रबंधन (Sports Management) तथा खेल मनोविज्ञान (Sports Psychology) इत्यादि के संकायों में अध्ययन एवं शोध (teaching and research) कार्य होंगे।

(II) स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पेशेवर खेल प्रशिक्षकों (Proffessional Coaches) को संविदा (Contract) पर नियुक्ति की जायेगी।

(III) खेल पुस्तकालय (Sports Library) की स्थापना कर विकसित किया जायेगा।

(IV) विभागीय संचालनालय में स्पोर्ट्स म्यूजियम, की स्थापना, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्पोर्ट्स मेडिसन एवं स्पोर्ट्स साईकोलाजिस्ट की उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा।

(V) औद्योगिक/व्यवसायिक निगमों से आग्रह किया जाएगा कि कम से कम एक खेल को गोद लेवे ।

## (23) खेल संघों, खेल संवर्धन परिषद् एवं शासन की भूमिका

(I) खेल संवर्धन परिषद (Sports Promotion Council), खेल संघों (Sports Associations) तथा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं (Local PRIs) को सशक्त बनाया जायेगा ताकि वे विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को लोकप्रिय बना कर लोगों को खेल—कूद की गतिविधियों से जोड़ सकें।

(II) खेल विभाग, खेल संघ, स्कूल शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयीन खेल विभाग एवं अन्य शासन से मान्यता प्राप्त खेल संस्थाओं के वैयक्तिक (Individual) संयुक्त (Combined) तत्वाधान में राज्य के विभिन्न खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जायेगी।

(III) राज्य में खेल की विभिन्न अकादमियों का गठन कर खेलों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

## (24) खेल एवं निजी क्षेत्र

(I) निजी क्षेत्र (Private Sector) को विभिन्न खेलों में जैसे – हॉकी, तीरंदाजी (Archery), मुक्केबाजी (Boxing) राईफल निशानेबाजी (Rifle Shooting) एवं अन्य प्रमुख खेलों को छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा।

(II) निजी संस्थाओं को खेल विद्यालय प्रारम्भ करने अथवा मौजूदा विद्यालय/ विश्वविद्यालयों में खेल संकाय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(III) सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक 'खेल स्कूल' प्रारम्भ कर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विकसित किया जायेगा।

(IV) विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशली खिलाड़ियों को सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत 'खिलाड़ी प्रायोजन' (Player Sponsorship) के लिये निजी क्षेत्र के संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(V) राज्य में खेलों एवं खिलाड़ियों को विकसित करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा।

(VI) सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के अंतर्गत खेल सुविधाओं के विकास एवं खेल गतिविधियों के संचालन हेतु योजना बनाई जाएगी। इसमें नीजि क्षेत्रों की अधोसंरचना पर खेल गतिविधि या शासकीय भूमि पर नीजि क्षेत्रों द्वारा अधोसंरचना निर्माण या खेल गतिविधि संचालन के संबंध में योजना संचालित करने के प्रयास किए जाएंगे।

## 04. निष्कर्ष / Conclusion

खेल नीति का उद्देश्य राज्य में स्थानीय खेलों के प्रति जनसामान्य में रूचि उत्पन्न कर ऐसे वातावरण का निर्माण का करना है, जिसमें राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ हों तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

खेल नीति का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें आवश्यक मूलभूत खेल सुविधायें जैसे खेल–उपकरण, आहार, आवास, प्रशिक्षण, प्रशिक्षक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ की पहचान और सशक्त कर सकें।

2024 एवं 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को चयनित करके, विशेष सेल (Special Cell) के गठन के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर छत्तीसगढ़ की और सशक्त कर सकें।

साथ ही राज्य में खेल–शिक्षा (Sports Education), खेल–अनुसंधान (Sports Research), खेल–चिकित्सा (Sports Medicine), खेल उद्योग (Sports Industry), खेल–व्यापार (Sports Business), खेल पर्यटन (Sports Tourism), तथा अन्य खेल–सेवाओं (Sports Secvices) के क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे खेल के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकें।

अंततः खेल–कूद को राज्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धारा में सम्मिलित करने हेतु खेल अनुकूलित वातावरण का निर्माण करने के साथ–साथ खेल अधोसंरचना का विकास तथा लोगों को खेल में भविष्य (Career) बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

( सोनमणि बोरा )
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण

O/C